राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :–एफ.4(ई)/(53/89)/लिंक न. 5146/अलेसे –III/441 दिनांक :– 17-07-17

आदेश संख्या 117 /2017–18

श्री श्रवण कुमार, कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुन्झुनु को माननीय सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, क्रम 1 जयपुर ने अपराध संख्या 202/99(कोर्ट केस संख्या 18/2002) राजस्थान राज्य बनाम श्री श्रवण कुमार में पारित निर्णय दिनांक 06.04.2017 द्वारा धारा 13(1)(डी)(2) भ्रष्ट्राचर निवारण अधिनियम 1988 के अपराध के लिए तीन वर्ष का कठोर कारावास व 40,000/– रूपये के अर्थदण्ड तथा अर्थदण्ड अदा न करने पर तीन माह के साधारण कारावास से दण्डित किया गया है व धारा 409 भा.द.स. के अपराध में दो वर्ष के कठोर कारावास व 30,000/– रुपयें के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है, अर्थदण्ड अदा न करने पर तीन माह के साधारण कारावास से दण्डित किया गया है तथा 477(ए) भा.द.स. के अपराध में एक वर्ष के कठोर कारावास तथा 20,000/– रुपयें अर्थदण्ड तथा अर्थदण्ड की राशि जमा नही कराने पर तीन माह के साधारण कारावास से दण्डित किया गया है। अतः यह माना गया है कि उक्त श्री श्रवण कुमार, कनिष्ठ लेखाकार का यह आचरण, जिसके कारण उसे दोषसिद्ध ठहराया गया है, ऐसा है कि उन्हें लोक सेवा में और आगे रखना अवांछनीय है।

अतः अधोहस्ताक्षरकर्ता उक्त श्री श्रवण कुमार, कनिष्ठ लेखाकार को एतद्द्वारा तुरन्त प्रभाव से पदच्युत करते हैं/सेवा से हटाते है।

(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांक :–एफ.4(ई)/(53/89)/लिंक न. 5146/अलेसे –III/441 दिनांक :– 17-07-17

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. महानिदेशक, भ्रष्ट्राचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक भ्र.नि. ब्यूरो/विधि/7/2017/1492–93 दिनांक 23.05.2017 के क्रम में।
2. शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, जयपुर।
3. शासन सचिव, कार्मिक विभाग, जयपुर।
4. महानिरीक्षक, पुलिस (प्रथम), भ्रष्ट्राचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्ट्राचार निरोधक ब्यूरो (एस.आई.यू.), जयपुर।
6. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्ट्राचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
7. कोषाधिकारी, बाड़मेर। (रजिस्टर्ड)
8. उपकोषाधिकारी सिवाना (बाड़मेर) (रजिस्टर्ड)।
9. अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–I/डीपीसी शाखा)।
10. संयुक्त निदेशक (विधि),।
11. श्री श्रवण कुमार, कनिष्ठ लेखाकार उपकोषालय सिवाना (बाड़मेर) ।
12. कम्प्यूटर अनुभाग (वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु)।
13. निजी सहायक निदेशक महोदय।
14. गोपनीय शाखा/पदस्थापन सीट।
15. सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II कार्यालय हाजा।
16. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

(प्रदीप माथुर)